चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :–आर०ओ०/1064/2025–26 दिनांक :– 22-06-2026

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

महोदय/महोदया,

कृपया, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी के विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश कार्यालय के पत्र संख्याः ई० 4072/32–जी०एस०/2026 दिनांक 21.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैः–

01. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज प्लास्टिक (जैसे–प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।
02. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपडे के थैलों और कॉच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढावा दिया जाए।
03. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।
04. परिसरों में "बायो–डिग्रेडेबल" (गीला कचरा) और "नॉन–बायो–डिग्रेडेबल" (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाईक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।
05. इस निर्देशों के कडाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर इस "प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति" (Task Force)का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कालेजों का औचक निरीक्षण करें।
06. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

अतः मा0 राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 21.06.2026 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप उपर्युक्त पत्र में वर्णित दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
22/6/26
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. परीक्षा नियत्रंक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रो० नीलू जैन गुप्ता, अध्यक्ष, साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद्, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रो० के०के० शर्मा, संयोजक, साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद्, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. विश्वविद्यालय अभियंता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याःई-4072 /32-जी.एस/2026

दिनांकः 21/06/ ,2026

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की है।

2. वर्तमान समय में सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक सन्देश देने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान सबसे सशक्त माध्यम हैं।

3. माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं:–

i. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे– प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।

ii. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।

iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।

iv. परिसरों में 'बायो–डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन–बायो–डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।

vi. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों

एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

4. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–3 के बिन्दु **i** से **vi** तक उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी